आदेश की क्रम सं0 और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर न्यायालय उपायुक्त, पलामू।	आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी, तारीख सहित
1	2	3

न्यायालय–उपसमाहर्त्ता भू0सु0 सदर मेदिनीनगर

दा0खा0 अपील वाद–सं0–XV-13/16–17

15/7/18

जनक राज देवी .... अपीलार्थी

–बनाम–

रविन्द्र कुमार पाण्डेय .... विपक्षी

आदेश

यह दा0खा0 अपील वाद विद्वान अंचल अधिकारी, सदर मेदिनीनगर द्वारा दा0खा0 वाद सं0–1465 / 11–12 में दिनांक 26.04.14 को पारित आदेश के विरूद्ध दायर किया गया है। उक्त आदेश के द्वारा अपीलार्थी निम्न न्यायालय में आवेदिका द्वारा ग्राम बरालोटा थाना मेदिनीनगर का खाता नं0 103 प्लॉट नं0 148 रकबा 0.04 एकड़ भूमि की दा0खा0 के लिए दायर आवेदन अस्वीकृत कर दिया गया है। अपील अंगीकृत किया गया। विपक्षी को निबंधित डाक से सूचना निर्गत की गयी तथा निम्न न्यायालय का मूल अभिलेख की मांग की गयी।

विपक्षी के लगातार कई तिथियों से अनुपस्थित रहने के कारण अपीलार्थी के विद्वान अधिवक्ता का एक तरफा सुनवाई किया गया। निम्न न्यायालय का मूल अभिलेख एवं अभिलेख के साथ संलग्न कागजात एवं

हल्का कर्मचारी/अंचल निरीक्षक का जांच प्रतिवेदन का अवलोकन किया।

अपीलार्थी का संक्षेप में मुख्य दावा है कि अपीलार्थी ने जमाबंदीधारी नन्द कुमार यादव से निबंधत केवाला सं0–9368/9164 दिनांक 07.09.2011 के माध्यम से ग्राम बारालोटा के खाता नं0 103 प्लॉट नं0 148 रकबा 0.04 एकड़ भूमि क्रय किया और दखल–कब्जा में आकर इस पर आवासीय मकान बनाया तथा अंचल अधिकारी, सदर मेदिनीनगर को नामांतरण के लिए आवेदन दिया। अंचल अधिकारी, द्वारा दा0खा0 वाद सं0 1465/11–12 संधारित कर हल्का कर्मचारी/अंचल निरीक्षक से जांच प्रतिवेदन की मांग किया। हल्का कर्मचारी/अंचल निरीक्षक द्वारा जांच प्रतिवेदन समर्पित किया गया कि क्रय की गयी भूमि पर अपीलार्थी ने मकान का निर्माण किया है तथा इसकी मांग अपीलार्थी के बिक्रेता नन्द कुमार यादव के नाम से चल रही है, इसलिए दा0खा0 किया जा सकता है। हल्का कर्मचारी/अंचल निरीक्षक ने यह भी प्रतिवेदित किया कि विपक्षी सं0 2 से 4 के नाम से भी मांग चल रही है उन्हें भी सूचना निर्गत किया जाना चाहिए। विपक्षी सं0 1 रविन्द्र कुमार पाण्डेय ने अपीलार्थी के दा0खा0 के विरूद्ध अंचल अधिकारी के समक्ष आपत्ति दायर किया कि उसने तीन निबंधित केवाला से प्रश्नगत् खाता/प्लॉट में

रकबा 0.15 एकड़ भूमि क्रय की है जबकि अपीलार्थी ने आपत्तिकर्ता द्वारा क्रय की गयी भूमि से 0.04 एकड़ भूमि क्रय ली है इसलिए अपीलार्थी के नाम से दायर दा0खा0 आवेदन खारीज किया जाना चाहिए। अंचल अधिकारी द्वारा सभी संबंधित को सूचना दी गयी। कोई भी व्यक्ति यहाँ तक आपत्तिकर्ता भी अंचल अधिकारी के समक्ष उपस्थित नहीं हुआ। अंचल अधिकारी ने मनमाने ढंग से कल्पना के आधार पर यह मान लिया कि आपत्तिकर्ता द्वारा क्रय की गयी भूमि में से अपीलार्थी ने भूमि क्रय ली है। कथन है कि अपीलार्थी के बिक्रेता के नाम से पूर्व से जमाबंदी चल रही है और क्रय की गयी भूमि पर अपीलार्थी ने मकान बनाया है तो अंचल अधिकारी, को इस पर विचार कर अपीलार्थी के नाम से दाखिल–खारीज स्वीकार करना चाहिए था जो उन्होंने नहीं किया और अपीलार्थी के नाम से दाखिल–खारीज करने से यह कहकर इनकार कर दिया कि दिवाकर चन्द्र पाण्डेय, वीणा त्रिपाठी एवं इन्दु दूबे (विपक्षी सं0 2 से 4) के नाम दोहरी जमाबंदी चल रही है जबकि अपीलार्थी के बिक्रेता नन्द कुमार यादव के नाम से छेदी राम पिता बनवारी राम, बदन राम पिता खदेरन राम एवं संतोषी राम पिता विदेशी राम से क्रय करने के बाद दा0खा0 वाद सं0 112/06–07 से रकबा 0.88 एकड़ भूमि की जमाबंदी चल रही है जिसके विरूद्ध किसी ने

आज तक आपत्ति नहीं दी है। अपीलार्थी ने दावा किया है कि अंचल अधिकारी ने मनमाने ढंग से विपक्षी सं0 1 के प्रभाव में आकर अपीलार्थी के नाम से दाखिल–खारीज करने से इनकार कर दिया है जो न्यायहित में उचित नहीं है जिसे निरस्त कर अंचल अधिकारी को अपीलार्थी के नाम से दाखिल–खारीज करने का निदेश देना अपेक्षित है।

निम्न न्यायालय का मूल अभिलेख के साथ संलग्न हल्का कर्मचारी/अंचल निरीक्षक के जांच प्रतिवेदन के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि अपीलार्थी के बिक्रेता नन्द कुमार यादव के नाम से प्रश्नगत् खाता/प्लॉट में रकबा 0.88 एकड़ भूमि की जमाबंदी दा0खा0 वाद सं0–112/06–07 से चल रही है। अपीलार्थी ने रकबा 0.88 एकड़ में से 0.04 एकड़ भूमि क्रय की है। हल्का कर्मचारी/अंचल निरीक्षक ने प्रतिवेदित किया है कि क्रय की गयी भूमि पर क्रेता मकान का निर्माण कर रही है। दाखिल–खारीज के लिए बिक्रेता की जमाबंदी एवं दखल–कब्जा ही महत्वपूर्ण बिन्दु है। अंचल अधिकारी द्वारा पारित आदेश के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि अन्य जमाबंदीधारी दिवाकर चन्द्र पाण्डेय/वीणा त्रिपाठी/इन्दु देवी को सूचना तो निर्गत की गयी किन्तु उन्हें बिना समुचित अवसर दिए ही मात्र आपत्तिकर्ता (विपक्षी स0 1)

के आपत्ति पत्र के आलोक में आदेश पारित कर अपीलार्थी का दा0खा0 आवेदन अस्वीकृत किया गया है। अंचल अधिकारी, ने ऐसा कोई उल्लेख नहीं किया है और न जांच ही किया है कि आपत्तिकर्ता द्वारा क्रय की गयी भूमि में से ही अपीलार्थी के पक्ष में भूमि बिक्री की गयी है। आपत्तिकर्ता ने निर्मला त्रिपाठी एवं संतोष राम से भूमि क्रय की है किन्तु आपत्तिकर्ता के नाम से दाखिल–खारीज होने का कोई उल्लेख नहीं है। अंचल अधिकारी, ने विपक्षी सं0 2 से 4 के नाम से दोहरी जमाबंदी चलने का हवाला देकर अपीलार्थी का दा0खा0 आवेदन अस्वीकृत किया है किन्तु जांच कर यह स्पष्ट नहीं किया गया है कि प्लॉट नं0 148 का कुल क्षेत्रफल क्या है तथा किन–किन जमाबंदीधारियों के नाम कितनी भूमि का किस आधार पर जमाबंदी चल रही है तथा किस जमाबंदीधारी की दोहरी जमाबंदी चल रही है। अंचल अधिकारी का यह दायित्व बनता है कि दोहरी जमाबंदी का पता चलने पर अवैध दोहरी जमाबंदी को रद्द करने की कार्रवाई कर अवैध दोहरी जमाबंदी रद्द को रद्द करने का प्रस्ताव सक्षम पदाधिकारी को भेजना चाहिए। स्पष्ट है अंचल अधिकारी, द्वारा बिना जांच पड़ताल किए ही दा0खा0 अस्वीकृत करने का आदेश पारित किया गया है जो न्यायहित में नहीं है। ऐसी स्थिति में अंचल अधिकारी, सदर मेदिनीनगर द्वारा

दिनांक 26.04.14 का पारित आदेश निरस्त किया जाता है तथा निम्न न्यायालय का मूल अभिलेख को भेजते हुए उपरोक्त बिन्दुओं पर विचार करते हुए प्रश्नगत् भूमि की स्थलीय जांच दखल–कब्जा एवं कागजात का अवलोकन करने के बाद नये सिरे से दाखिल–खारीज का आदेश पारित करने का निदेश दिया जाता है।

इस निदेश के साथ इस वाद की कार्रवाई समाप्त की जाती है।

15/7/14

उप समाहर्त्ता, भू0सु0
सदर मेदिनीनगर।

15/7/14

उप समाहर्त्ता, भू0सु0
सदर मेदिनीनगर।